न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – शिल्पा सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण स0 50 / 2020 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 13.03.2020	तारीख फैसला 08.01.2021

उनवान

1. नन्दा पिता देबी बावरी निवासी बोरडा बावरियान तहसील शाहपुरा
2. भैरू पुत्र भूरा बलाई निवासी बोरडा बावरियान तहसील शाहपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

1-4 कन्हैयालाल, गोविन्दराम, रामनिवास, सत्यनारायण पिता मोतीलाल ब्राह्मण निवासी बोरडा बावरियान

5. मृ0 श्राउ. देवी पत्नी रामलाल चमार निवासी बोरडा बावरियान तहसील शाहपुरा

6. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 ए0

उपस्थिते 1. श्री त्रिलोकचंद नोलखा अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 [illegible] विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है [illegible] ग्राम प0स0 बोरडा तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगण नं 01 के खातेदारी [illegible] नम्बर 1939 रकबा 0.58 व आराजी नम्बर 1940 रकबा 0.57 हे0 कुल [illegible] 02 [illegible] प्रार्थीगण नं 02 के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 1939 [illegible] नम्बर 1938 / 2821 रकबा 0.24 हे0 व आराजी नम्बर 1944 [illegible] 03 रकबा 2.10 हे0 स्थित है। उक्त आराजियात प्रार्थीगणों [illegible] उपयोग उपभोग में चली आ रही है। विपक्षीगण नं0 06 लैण्ड [illegible] है। प्रार्थीगण पैरा नं0 01 में वर्णित आराजियात पर [illegible] विपक्षीगण नं 01 लगायत 04 की आराजी नम्बर 1951 [illegible] 0.98 [illegible] नं 05 की आराजी नम्बर 1945 रकबा 0.91 हे0 की पूर्वी [illegible] 1944 के उत्तरी कोने पर पहुंचते हैं। इसके बाद आराजी नं 1944 [illegible] प्रार्थीगण अपनी आराजी नं 1938 की उत्तरी मेर पर पहुंचते [illegible] आराजी नं 1944 की पूर्वी मेर से होते हुए प्रार्थीगण नं 01 [illegible] आराजियात में लाने ले जाने में किसी तरह की परेशानी [illegible] 01 में वर्णित आराजियात पर कृषि उपकरण लाने ले जाने [illegible] बताये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है [illegible] विपक्षीगण 01 लगायत 04 [illegible] करते है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात [illegible] नहीं कर पा रहे है। इस कारण पैरा नं0 02 में वर्णित [illegible] रास्ते दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विपक्षीगण नं 01 लगायत 04 द्वारा आराजी नं 1951 व विपक्षीगण नं 05 की आराजी नं 1945 [illegible] मेर से गुजरने वाले रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है। विपक्षीगण नं 01 [illegible] 05 [illegible] बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात [illegible] प्रार्थीगणों के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण [illegible] रास्ता नहीं मिला तो प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात पर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाडा) राज.

रिपोर्ट_ता. बोरडा

न ही प्राप्त कर पायेगे। अत श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए पैरा नं. 02 मे वर्णित विपक्षीगण न. 01 लगायत 04 की आराजी नं. 1951 व विपक्षीगण न. 02 की आराजी नं. 1945 की पूर्वी मेर से होते हुए प्रार्थीगणो की आराजी ... के लिए रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावे। उक्त रास्ते का डीएलसी ... से नियमानुसार आदेशानुसार राशि जमा कराने का आदेश कर रास्ते का इन्द्राज करा ... नक्शे मे भी स्थायी रूप से रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.10.2020 को विपक्षीगण 01 लगायत 05 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी एवं प्रकरण मे मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया। दिनांक 08.10.2020 को तहसीलदार शाहपुरा द्वारा भू0अ0निरीक्षक बोरडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एव डीएलसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा भू0अ0निरीक्षक बोरडा के रास्ता प्रस्ताव के बिन्दु सं0 01 व 02 की आराजियात 1951 व 1945 मे से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अत तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट एवं भूमि की डीएलसी अनुसार मालियत के संबंध मे प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण न0 01 की खातेदारी की आराजी 1939 रकबा 0.58 है0 व आराजी नम्बर 1940 रकबा 0.57 है0 कुल किता 02 रकबा 1.15 है0 व प्रार्थीगण न. 02 के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 1938 रकबा 1.36 है0, आराजी नम्बर 1938 2821 रकबा 0.24 है0 व आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.54 है0 कुल किता 03 रकबा 2.10 है0 जो ग्राम बोरडा प0म0 बोरडा में स्थित है, जिस पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

[illegible]	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु वाछित भूमि ल. × चौ वर्ग फीट मे	रकबा वर्ग फीट मे	रकबा है0 मे	डीएलसी ... प्रति है0	[illegible]
कन्हैयालाल गोविन्दराम रामनिवास सत्यनारायण पिता मोतीलाल ब्राह्मण निवासी बोरडा	1951	0.98	157.44 × 13.12	2066	0.019	171963	6536
छाऊ पत्नी रामलाल चमार निवासी बोरडा	1945	0.91	557.60 × 13.12	7316	0.067	143937	19288
			कुल राशि				25824/-

दिनांक 08.01.2021 को अभिभाषक प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस पर मनन प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा का अवलोकन किया गया जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बोरडा प0म0 बोरडा तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण न0 01 की खातेदारी की आराजी 1939 रकबा 0.58 है0 व आराजी नम्बर 1940 रकबा 0.57 है0 कुल किता 02 रकबा 1.15 है0 व प्रार्थीगण नं. 02 के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 1938 रकबा 1.36 है0, आराजी नम्बर 1938/2821 रकबा 0.24 है0 व आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.54 है0 कुल किता 03 रकबा 2.10 है0 में आने जाने हेतु खातेदार कन्हैयालाल गोविन्दराम रामनिवास सत्यनारायण पिता मोतीलाल ब्राह्मण निवासी बोरडा की आराजी नम्बर 1951 रकबा 0.98 है0 में से 154.44 फीट लम्बा × 13.12 फीट चौडा रास्ता हेतु 0.019 है0 भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि 6536/- रूपये बनती एवं खातेदार छाऊ पत्नी रामलाल चमार निवसी बोरडा की आराजी नम्बर रकबा 1945 मे से 557.60 फीट लम्बा × 13.12 रास्ता हेतु 0.067 है0 भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि 19288/- रूपये बनती है। इस प्रकार कुल राशि 25824/- रूपये उक्त सूची अनुसार संबंधित खातेदार को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजिनक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08.01.2021 सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ एवं सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.